457 449

10000 रु. भारतीय गैर Rs.10000

10000 रु.

10000 रु. Rs 10000 दस हजार रुपये

10000 रु. Rs 10000 RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

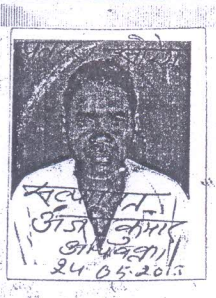

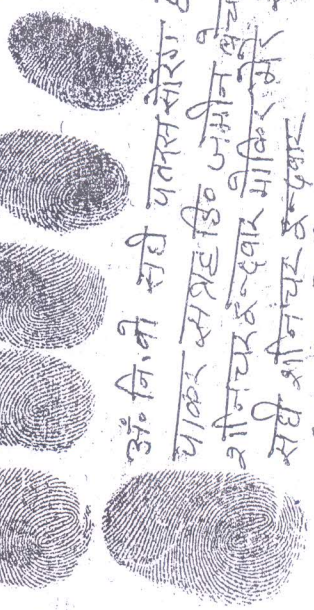

10000 रु. Rs.10000

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(2)

04AA 001537

पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 46. (1) Pro के अधीन

भारतीय स्टाम्प अधिनियम (इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची 1 क संख्या 23 I A. With the permission of L.R.D.C Simdega vide Case No. 239/2012-13 order dated 2.03.13

May
24.5.13

1. लेखयकारी :-पतरस सोरेंग पिता स्वर्गीय लुकश सोरेंग जाति खड़िया पेशा-कृषि, निवास ग्राम - गोतरा भुन्डुटोली थाना वो जिला-सिमडेगा (झारखण्ड) .. .. .. बिक्रेता

शपथ-पत्र संख्या :- 289/24.5.13

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रूपये ONE THOUSAND RUPEES

2· लेखधारी :- अगापित खाखा पिता स्वर्गीय लुकश खाखा जाति-उरांव, पेशा- कृषि, निवास ग्राम किन्दरडेगा थाना वो जिला-सिमडेगा (झारखण्ड)

290/24.5.13 क्रेता भारतीय नागरिक ।

3· लेखप्रकार :- बिक्रय-पत्र (केवाला)

4· मूल्य :- मोबलिग- 322000/-रूपये (तीन लाख बाईस हजार रूपये जिसका आधा एक लाख एकसठ हजार रूपये अंके-161000/=रूपया होता है,) जिसका निर्धारित बाजार मूल्य - 340000/- रूपये है ।

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. सत्यमेव जयते भारत Rs 1000

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

5· सम्पति :-मौजा गोतरा भुन्डुटोली थाना/अंचल-सिमडेगा,
जिला अवर निबंधन कार्यालय वो जिला-सिमडेगा,
थाना नं0-80 (अस्सी)खाता नं0-01 (नौ)
पलाट नं0-4688 (चार हजार छ:सौ अठासी)रकबा
0·01 एकड़ में से 0·04 एकड़ (चार डिसमिल) वो
पलाट नं0-4681 (चार हजार छ:सौ नवासी)रकबा
1·80 एकड़ में से 0·13 एकड़ (तेरह डिसमिल)दोनों
पलाट का कुल रकबा 0·17 एकड़ (सतरह डिसमिल)
दर्जा जमीन-टॉड़ आवासीय, जिसपर कोई निर्माण
या मकान या पेड़ पौधा नहीं है ।मालगुजारी-0·05
रूपया अलावे सेस सलाने ।

चौहद्दी :-
उतर :- फ्रांसिस बाड़ा वगैरह का टॉड़
दक्षिण :- इसी पलाट का अंश हाल खरीदगी
पूरब :- इसी पलाट का दूसरा का चौरा दोन
पश्चिम:- इलियाजर डुंगडुंग का टॉड़

इं० नि० को सही
पतरस सोरेंग
द० क० शनिचर इक्का
24-05-2013

पतरस सोरेंग
ग्राम गोतरा
थाना सिमडेगा
जिला सिमडेगा
24/5/13

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

मैं, घोषित करता हूं कि बिक्रय वाली जमीन, भूहदबन्दी कैशरेहिन्द, खाश महल, भूदान, सैरात, लीज, आम गैरमजुरूआ से संबंधित नहीं है ।

(क) चूंकि मुझे मकान बनवाने के लिए रूपयों की आवश्यकता हुई, और रूपये प्राप्त करने का कोई अन्य साधन नहीं होने के कारण लेखधारी से मेरी उपर्युक्त वर्णित सम्पति को खरीदने का आग्रह किया जिसे वे खरीदना स्वीकार किये ।

अतः मैं ने मेरी उक्त जमीन को लेखधारी से बेचने की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन छोटानागपुर काश्तकारी, अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत दिया, जिसे राजस्व वाद संख्या-231/2012-13 दर्ज किया गया एवं अनुमति आदेश की एक प्रति मुझे मेमो नं0-263 (ii) दिनांक-02.03.2013 के द्वारा प्राप्त हुई है ।

24-05-2013

प्रकाश लकड़ा पिता श्री लिबिन लकड़ा, ग्राम सैम्बुआ नवाटोली, थाना- सिमडेगा जिला सिमडेगा
24.5.013

100Rs.

(छ) अत: मैं अपने स्वेच्छा से शरीर और मन की स्वस्थता में उपर्युक्त वर्णित सम्पति का पूरा कीमत लेख्यधारी से पाकर बेच दिया । तथा इस सम्पति का पूरा अधिकार एवं स्वामित्व लेख्यधारी को हस्तांतरित कर दिया । अब इस सम्पति पर मेरा या मेरे किसी भी उतराधिकारी का न कोई अधिकार रहा और न आईन्दे होगा ।

अनुप कुल्लू, पिता-मनिराम कुल्लू
ग्राम - सिपांडीह, थाना - ठेठईटांगर
जिला - सिमडेगा
24.5.2013

100Rs.

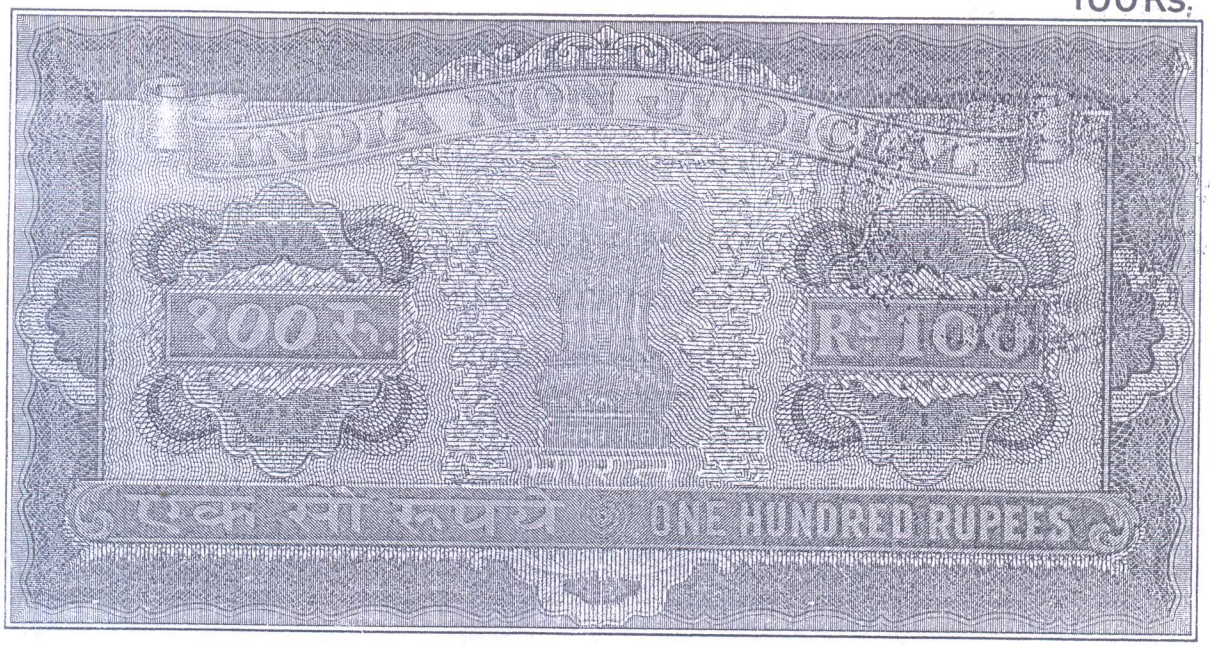

INDIA NON JUDICIAL

१००रु.   Rs 100

एक सौ रुपये   ONE HUNDRED RUPEES

-6-

(ग) मैं यह घोषित करता हूं कि यह सम्पति मेरी खातियानी पुरखौती रैयती जमीन है, जिसके खातियानी रैयत मेरे दादा उधो खाड़िया वगैरह हैं । यह सम्पति मुझे उतराधिकार एवं आपसी बंटवारा द्वारा प्राप्त हुई है ।जो मेरे नीज हिस्से में है, और जिसपर मेरा निर्विवाद रूप से दखाल-कब्जा चला आ रहा है । तथा इस जमीन पर कोई ऋण या भार नहीं है।

100Rs.

(घ) लेखयधारी को उपर्युक्त वर्णित सम्पति पर दखाल-कब्जा दे दिया है। अब लेखयधारी इसे जैसा चाहे अपने उपयोग में लावे । दाखिल-खारिज करावें एवं मालगुजारी सरकार को दिया करें ।

इसलिए यह बिक्रय-पत्र दस्तावेज लिखा दिया कि समय पर काम आवे। और प्रमाण रहे ।

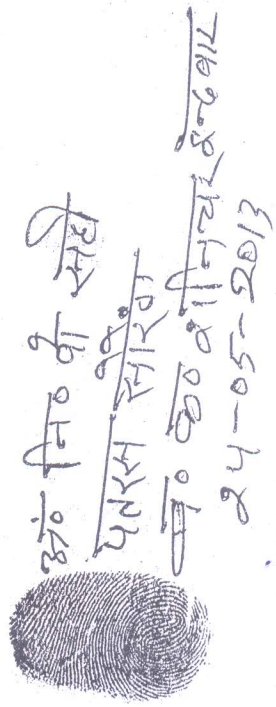

लेखयकारी :- मैं यह घोषित करता हूं कि यह सम्पीत भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक नहीं है । तथा इससे संबंधित कोई मामला मेरे बिरूद्ध किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

अं० नि० की सही
पतरस सोरेंग
ग्रा० कल्याणियरखन्दवार
24-05-2013

अं० नि० की सही
पतरस सोरेंग
ग्रा० कल्याणियरखन्दवार
24-05-2013

प्रमाणित किया जाता है कि लेखकारी श्री पतरस सोरेंग ने अपने दाहिने हाथ के पाँचों अंगुलियों का निशान मेरे समक्ष दिया। अजय कुमार अधिवक्ता
24.05.2013

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

02AA 742767

-१-

लेख्यधारी :- मैं यह घोषित करता हूं कि इस विलेख द्वारा प्राप्त भूमि के बाद भी मेरे हिस्से भू-हदबन्दी अधिनियम की सीमा निर्धारण से अधिक भूमि नहीं है ।

अगापित खाखा 25/5/2013

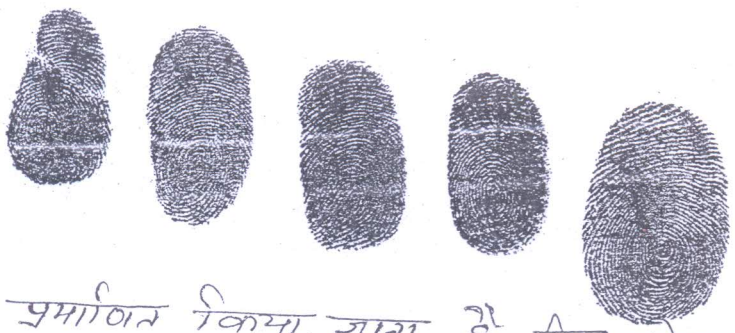

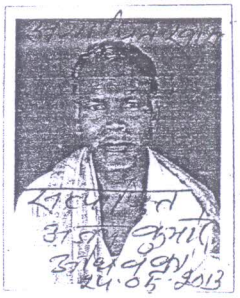

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारी श्री अगापित खाखा ने अपने बाँए हाथ के पाँचो अंगुलियो का निशान मेरे समक्ष दिया। अजय कुमार
अधिवक्ता
24.05.2013

24-05-2013

इस दस्तावेज का प्रारूप मेरे द्वारा तैयार किया गया है।तथा इसके पक्षकारों को पढ़कर सुना वो समझा दिया गया है जिसे स्वंयं भी पढ़कर स्वीकार किये कि सही है ।

प्रारूपकर्ता- अजय कुमार
अधिवक्ता 24.05.2013
अधिवक्ता, सिमडेगा ।

इस विलेख में कुल 10 पन्नों पर मेरे द्वारा कुल 625 शब्द टंकित किया गया है, जो खण्डन रहित है। बिक्रय वाली जमीन का नक्शा संलग्न है। जो इस दस्तावेज का अंश है ।

टंकक :- देवनिस बाड़ा
24-05-2013ई०
{ देवनिस बाड़ा }
सिमडेगा कोर्ट, सिमडेगा

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये

FIVE HUNDRED RUPEES